


R 993-I/15

370

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावक आदि के हस्ताक्षर
8-5-15	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अग्रवाल एवं अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एन. त्यागी उपस्थित । उभयपक्षों को ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया ।</p> <p>2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया विधिसम्मत है कि आवेदक की ओर से इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि संहिता की धारा 248 के तहत पक्का मकान निर्माण तोड़ने का आदेश नहीं दिया जा सकता है । इसके लिए स्पेसीफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय में कार्यवाही करना चाहिए जो कि प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है । आवेदक द्वारा उक्त आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता था जिस समय तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 248 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की गई थी । अपील में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत करना विधिसम्मत नहीं है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	



सदस्य

6-5-15

न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. I15/निगरानी

निगरानी 998-I-15



महिपाल सिंह पुत्र अजब सिंह, जाति राजपूत

नि. पीलाघाटा, तहसील राघौगढ़, जिला गुना (म.प्र.)

-प्रार्थी

बनाम

म.प्र. शासन जरिये कलेक्टर, गुना

-प्रतिप्रार्थी

राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी राघौगढ़, जिला गुना के आदेश दिनांक 27.04.15 के विरुद्ध

श्रीमानजी प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

7. यहकि, अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विपरीत विधान एवं प्रकरण पत्रावली के विरुद्ध तथा न्यायिक मागदर्शी सिद्धांतों के विपरीत होकर निरस्त होने योग्य है।
8. यहकि, अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का आवेदन धारा 6 एवं 26-28 स्पेसिक रिलीफ एक्ट के तहत दिनांक 25.04.2015 को प्रस्तुत किया था। निरस्त करने के सम्बन्ध में जो आधार दर्शित किये हैं वह कानूनन न तो उचित हैं और न ही उन आधारों पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता था। उक्त आवेदन में उठाई गई आपत्ति कानून से सरोकार रखती हैं तथा उक्त कानूनी बिन्दू अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण के लम्बित रहते हुये किसी भी स्टेज पर उठाई जा सकती हैं। अधिनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष आवेदन विलम्ब के पश्चात् प्रस्तुत किया है सही नहीं है आवेदन में चाही गई सहायता कानूनी बिन्दू से सम्बन्ध रखती है तथा उक्त कानूनी बिन्दू पर सह प्रकरण के लम्बित रहते हुये कभी भी न्यायालय के समक्ष रखा जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय में आवेदक का प्रार्थना पत्र उचित एवं न्यायहित में मेरिट पर विचार योग्य था जो अधिनस्थ न्यायालय में विचार न कर सरसरी तौर पर विलम्ब के आधार पर आवेदन पत्र निरस्त कर उचित आदेश पारित नहीं किया है जो आदेश निरस्त होने योग्य है।
9. यहकि, अधिनस्थ न्यायालय में यह निष्कर्ष रिकॉर्ड के विपरीत निकाला है कि 25.04.2015 को प्रस्तुत आवेदन प्रकरण को लम्बित रखने हेतु दिया गया है। जबकि उक्त आवेदन प्रकरण के न्यायिक निराकरण तथा वास्तविक वाद विषय से सम्बन्धित होने के कारण न्यायालय के ध्यान में लाकर कानून प्रकरण की प्रचलन शिलता पर तथा न्यायालय की अधिकारता के प्रश्न को निर्धारित करने हेतु किया गया है। जो प्रकरण के लम्बान का आधार बनाकर निरस्त नहीं किया जा सकता तथा उक्त बिन्दू पर सर्वप्रथम निर्णय पारित करना चाहिए। क्योंकि अधिकारिता का प्रश्न निर्धारित होने के

